Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जोधपुर में आरोपी श्री ऋषिकेश मीणा, इंजीनियर सुपरवाईजर, अतिरिक्त चार्ज कनिष्ठ अभियंता विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जाखण बापिणी जिला जोधपुर व सह आरोपी श्री कैलाश प्रजापत को रिश्वत राशि 5,000/- रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।**

जयपुर, 05 मार्च बुधवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी एस.यू. जोधपुर द्वारा आज देर रात ट्रेप कार्यवाही करतें हुए आरोपी श्री ऋषिकेश मीणा, इंजीनियर सुपरवाईजर अतिरिक्त चार्ज कनिष्ठ अभियंता जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जाखण बापिणी जिला जोधपुर के द्वारा परिवादी के ट्यूबवेल पर रखे अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की शीट नहीं भरने की एवज में 5,000/- **रूपये** रिश्वत की मांग कर दिनांक 05.03.2025 को वक्त ट्रेप कार्यवाही अपने मकान के मालिक के पुत्र श्री कैलाश प्रजापत पुत्र श्री लाभूराम प्रजापत को रिश्वत राशि 5,000/- रूपये दिलाना तथा रिश्वती राशि सह आरोपी श्री कैलाश प्रजापत के पहनी हुई जीन्स पेंट की बायीं साईड की जेब से बरामद कर आरोपी श्री ऋषिकेश मीणा इंजीनियर सुपरवाईजर अतिरिक्त चार्ज कनिष्ठ अभियंता जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जाखण बापिणी जिला जोधपुर व सह आरोपी श्री कैलाश प्रजापत को रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा** ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी एस.यू. जोधपुर कों दिनांक 03.03.2025 को एक शिकायत इस आशय की मिली की परिवादी के ट्यूबवेल पर रखे अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की शीट नहीं भरने की एवज में श्री ऋषिकेश मीणा इंजीनियर सुपरवाईजर अतिरिक्त चार्ज कनिष्ठ अभियंता जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जाखण बापिणी द्वारा रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी रेंज जोधपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री हरेन्द्र महावर** के सुपरविजन में ए.सी.बी. चौकी एस.यू. जोधपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ओमप्रकाश चौधरी** के नेतृत्व में **पुलिस निरीक्षक श्री मनीष चौधरी** मय टीम के आज दिनांक 05.03.2025 करे देर रात ट्रैप कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री ऋषिकेश मीणा इंजीनियर सुपरवाईजर अतिरिक्त चार्ज कनिष्ठ अभियंता जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जाखण बापिणी जिला जोधपुर व सह आरोपी श्री कैलाश प्रजापत को परिवादी श्री कालूराम से रिश्वत राशि 5,000/- **रूपये** लेते हुए रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमति स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।